पत्रावली दिनांक 20-11-20 को पेश होवें

20-11-20

पक्षकार प्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित।

... पुनाव कार्य में व्यस्त होने से

पत्रावली दिनांक 16-12-20 को पेश होवें

रीडर

16-12-20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अप्रार्थी अधिवक्ता का स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित होना बताया गया। पत्रावली में पूर्व आदेशानुसार मौका एवं रिकोर्ड की स्थिति आगामी पेशी दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते जबाब एवं बहस दिनांक 27-1-2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

27-1-21

पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में जबाव अप्राप्त। जबाव बन्द किया जाता है। पत्रावली में प्रार्थी अधि० की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी ने कथन किया कि त्रुटिवश सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी के पक्ष में 0.3[illegible] दर्ज किया गया। वास्ति[illegible] 0.35 है० हाल आराजी[illegible] रकबा 0.37 है० जो अप्रार्थी के

अ० नि० नाना

प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:22:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ… जो इस हुक्म की तामील में जारी…
	नाम कुप्रबन्ध बिलामा की गलती से दर्ज हुआ है, सन 1967 से आज तक प्रार्थी के पूर्वजों व इनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आरहा है। साथ ही आराजी नं० 900 कब्जे काश्त उपयोग मे भी चली आ रही है। अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर बलपूर्वक प्रवेश करने की व मारपीट करने की कोशीश की गई इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बावलवाडा मे पेश की जा चुंकि है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में गत (साबिक) हाल (वर्तमान) रेकार्ड मिलानी रिपोर्ट पेश कि साथ ही प्रार्थी द्वारा S. B. Civil Writ Petition No. 5471 of 2016, Jagdish & Ors. V/s Prahlad & Ors. फैसले की नजीर पेश की जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि वादीगण जो कि भूमि के कब्जा काश्त मे है, कैसे वह वैध कब्जा समाप्त हो गया है एक साक्ष्य का मामला है अतः इसमे अस्थाई निषेधाज्ञा देय है। बहस पर मनन कि[illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये ग[illegible] गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पर विगत कई दशकों कि कब्जा काश्त भूमि से बेदखली एवं खुर्दबुर्द करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय [illegible] होगी। साथ ही पेश कि गई राज० उच्च	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:22:29 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी के पक्ष में दिख रहा है। चूंकि सुप्रबन्ध के दौरान हुई त्रुटि इस वाद का कारण दर्शाया गया है एवं प्रार्थी विगत इशकों से वाद भूमि पर कब्जा काश्त है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं न्यायहित में अप्रार्थी के विरुद्ध वादकालीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है एवं अप्रार्थी को इस बाबत पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी Signature Not Verified Digitally signed by Pramod Seervi Date: 2021.03.17 18:22:29 IST Reason: SelfAttested	